"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017— वैशाख 6 , शक 1939

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—22/2016/34—1. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची एक के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः—

"टीपः—अधिसमय—वेतनमान की स्थिति में,—

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान	8 वर्ष की सेवा के पश्चात् समयमान	16 वर्ष की सेवा के पश्चात् समयमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक अभियंता (सिविल)	रू. 15600—39100+5400	रू.15600—39100+6600	रू.15600—39100+7600
2.	सहायक अभियंता (विघुत/यांत्रिकी)	रू.15600—39100+5400	रू.15600—39100+6600	रू.15600—39100+7600
3.	सहायक अभियंता (एमआईएस)	रू.15600—39100+5400	रू.15600—39100+6600	रू.15600—39100+7600

No. F - 1-22/2016/34-1. — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Health Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rule 2014 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, –

Below Schedule-I, the following shall be added, namely:-

"Note:- In case of super-time scale,-

Sr. No.	Name of Post	Pay Scale	Time scale after 08 years of service	Time scale after 16 years of service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Engineer (Civil)	Rs.15600 -39100 + 5400	Rs.15600 -39100 + 6600	Rs.15600 -39100 + 7600
2.	Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	Rs.15600 -39100 + 5400	Rs.15600 -39100 + 6600	Rs.15600 -39100 + 7600
3.	Assistant Engineer (MIS)	Rs.15600 -39100 + 5400	Rs.15600 -39100 + 6600	Rs.15600 -39100 + 7600

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.